आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 783/2025 अनवान ***नारायण सिंह बनाम गोपाल सिंह वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.11.25	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2023 (2023/118) में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की अपील एवं स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं अपीलाधीन आदेश में उल्लेख अनुसार, पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद मुख्यतः तहसीलदार जालोर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प आकोली में आपसी सहमति से बंटवारा आदेश क्रमांक 1035–37 दिनांक 17.12.2021 की पालना में स्वीकृत ग्राम आकोली के नामान्तरकरण संख्या 1716 दिनांक 28.02.2022 को रेस्पो0–अपीलांट 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुन्नौति देने की वैधानिकता को लेकर है :– दौरान बहस वकील अपीलांट द्वारा मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील जालोर के ग्राम आकोली के खसरा नम्बर 317, 318, 319, 322, 323, 327, 328 व 330 कुल खसरा 8 कुल रकबा 9.8100 हैक्टर की अविभाजित संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में रेस्पो0–अपीलांट गोपालसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र लालजी एवं सुवटी पत्नी लालजी सह–खातेदार दर्ज थे। सुवटी के फौत होने पर उसके विरासत का ना0क0सं0 1688 दिनांक 12.12.2021 को	

स्वीकृत हुआ एवं उसकी पुत्रियां–पवनी देवी व रूकमा का नाम दर्ज किया गया, परंतु जमाबंदी में दाखीला करना रह गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प आकोली में सभी सह–खातेदारों की आपसी सहमति से तहसीलदार आकोली द्वारा भूमि विभाजन आदेश कमांक 1035–37 दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया। जिसकी पालना में ना0क0सं0 1716 दिनांक 28.02.2022 को तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 सं0 1 से 3–अपीलांट स्वयं विभाजन की कार्यवाही में सहमत व पक्षकार थे। वावजूद इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 21/2023 में पारित निर्णय दिनांक 24.9.25 द्वारा अपील स्वीकार कर, बंटवाडा आदेश कमांकः 1035 दिनांक 17.12.21 व इनकी पालना में स्वीकृत ना0 क0सं0 1716 दिनांक 28.2.22 निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलार्थीया सं0 3–पवनी देवी के निधन उपरांत नायम कायमी नही की गई, जिससे अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के नाम पारित कर दिया गया तथा मियाद बिन्दु को निर्णित नही किया गया। विभाजन आदेश राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के प्रावधानों के तहत पारित किया गया, जिसे किसी सूरत निरस्त नही किया जा सकता है तथा इसे सिविल न्यायालय में चुनौति उपरांत निर्णय बिना अपीलाधीन ना0क0 निरस्त नही किया जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव में 10 खातेदार दर्ज थे, जिसमें से सुवटी पत्नी लालसिंह के फौत हो जाने पर उसके विरासत का ना0क0 सं0 1688 उसकी 2 पुत्रियों–पवनी व रूकमा के नाम दर्ज किया गया। इस कारण पक्षकारान की संख्या 10 हो गई, क्योंकि सुवटी के पुत्रों का नाम पहले ही दर्ज था। इस प्रकार खातेदारों की संख्या (9-1)=8 फिर (8+2)=10 हो गई। जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने गलत विवेचन करते हुए "कि बंटवाडा आदेश

दिनांक 17.12.21 के संलग्न नवीनतम एवं अद्यतन, प्रमाणित जमाबंदी पी–35 नं0 86 दिनांक 14.12.2021 ग्राम आकोली के संवत् 2072–75 खाता संख्या नया 317 में कुल 08 खसरों के कुल 09 खातेदार दर्ज है, जबकि बंटवाडा प्रस्ताव जो पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.12.21 को जांच किया गया है, उसमें कुल 10 खातेदारों के नाम दर्ज है''। इसको आधार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो सर्वथा बेबुनियाद एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के विधिक अधिकारों में नही होने से पोषणीय नही थी। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2012 (1)RRT 558 Page No 558-561, 2012 (2)RRT 1250 Page No 1251-57, S.B.Civil Writ Pet.No.7214/2004 Order Dated 09-01-2017 by High Court of Raj. Jaipur तथा शांति देवी उर्फ सुमटी देवी पत्नी लालजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संवतः 2068–71 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में केवियटर अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0सं0 1 से 3–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि अपीलांट एवं रेस्पो0 के संयुक्त खातेदारी ग्राम आकोली के खसरा नम्बर 317, 318, 319, 322, 323, 327, 328 व 330 कुल खसरा 8 कुल रकबा 9.8100 हैक्टर भूमि का खातेदारों की आपसी सहमति से प्रस्तावित बंटवाडा पर दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प आकोली में तहसीलदार आकोली द्वारा भूमि विभाजन आदेश कमांक 1035–37 दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट–रेस्पो0सं0 1–नारायणसिंह प्रधान जालोर होने के कारण अभियान

में अध्यक्षता कर रहे थे, जिन्होनें स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए मिलावट कर रेस्पो0–अपीलांट–गोपालसिंह को रेकर्ड अनुसार हिस्सा 3.27 है0 भूमि की बजाय 2.92 है0 भूमि देकर, अपीलाधीन ना0क0सं0 1716 दिनांक 28.2.22 स्वीकृत करवा लिया गया तथा अन्य खातेदारों का हिस्सा भी रेकर्ड अनुसार दर्ज नही है। जिसकी जानकारी उसे दिनांक 15.7.23 को अपनी खातेदारी भूमि की सार सम्भाल करने हेतु मौके पर जाने पर हुई। तत्पश्चात अपीलाधीन ना0क0 की नकल प्राप्त कर धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलाधीन ना0क0सं0 1716 को स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व रेकर्ड की जांच नही करने, उसके हिस्से अनुसार रकबा 3.27 है0 भूमि दर्ज नही कर, उसके हिस्से की कम दर्ज भूमि को अपीलांट–रेस्पो0सं0 1 के नाम अधिक दर्ज करने व अन्य खातेदारों का हिस्सा रेकर्ड जमाबंदी के हिस्से अनुसार दर्ज नही करने से उक्त ना0क0 कानूनी रूप से गलत होने से खारिज करने तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाडा किया जाकर सही प्रकार से जांच कर विधि अनुसार ना0क0 पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का आग्रह किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर बंटवारा आदेश क्रमांकः राजस्व/1035 दिनांक 17.12.2021 व इसकी पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1716 को निरस्त किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदारो का आपसी सहमति बंटवाडा प्रार्थना पत्र तहसीलदार जालोर द्वारा राज0 काश्तकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के प्रावधानों के तहत जरिये कमांकः राजस्व/1035 दिनांक 17.12.21 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी पालना में अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1716 दिनांक 28.2.22 पारित किया गया। अतः सक्षम न्यायालय में बंटवाडा आदेश को चुन्नाति दिये बिना व सक्षम आदेश के अभाव इसकी पालना में स्वीकृत अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 1716 दिनांक 28.2.22 अहस्तक्षेपनीय है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012 (1)RRT 558 Page No 558-561 इस मामले में चस्पा होते है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2023 (2023/118) में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.09.2025 विधिविरुद्ध होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

6/11/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर